न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, मावली जिला उदयपुर (राज0)

पीठासीन अधिकारी : जितेन्द्र ओझा, RAS.
पत्रावली संख्या : 15/17 (अपील)

अनवान

1. श्री प्रदीप पिता स्व. शंकरलाल शर्मा निवासी मावली हाल 73, डोरे नगर, उदयपुर।

.....अपीलान्ट्

बनाम

1. श्री कैलाश पिता रंगलाल शर्मा निवासी 7 कमला नेहरू कॉलोनी, पाली जिला पाली।
2. श्रीमती निर्मला देवी पिता रंगलाल पत्नी ओमप्रकाश शर्मा निवासी संजय कॉलोनी, बांसवाली गली, मकान नम्बर 266, भीलवाडा जिला भीलवाडा।
3. श्रीमती सुशीलाल पिता रंगलाल पत्नी ओमप्रकाश शर्मा निवासी एफ/166 गांधी नगर, चित्तौडगढ़ जिला चित्तौडगढ़।
4. तारा पिता रंगलाल शर्मा निवासी कुम्भा नगर, महिला पुलिस थाने के पास, बजरंग कॉलोनी, चित्तौडगढ़, जिला चित्तौडगढ़।
5. श्रीमती सीमा पिता रंगलाल पत्नी शिवशंकर शर्मा निवासी 15 हर्ष नगर, सेतु मार्ग, चित्तौडगढ़ जिला चित्तौडगढ़।
6. श्रीमती भागवन्ती देवी पत्नी रंगलाल शर्मा निवास 15 हर्ष नगर, सेतु मार्ग, चित्तौडगढ़ जिला चित्तौडगढ़।
7. श्री ओमप्रकाश पिता शंकरलाल शर्मा निवासी मावली हाल 73 डोरे नगर, उदयपुर।
8. श्रीमती गायत्री पत्नी सुभाष पंचोली पिता शंकरलाल शर्मा निवासी बेगु चित्तौडगढ़।
9. श्रीमती चन्द्रकला पत्नी ज्ञानेश्वरजी पंचोली पिता शंकरलाल शर्मा निवासी गोवर्धन विलास, हनुमानजी के मन्दिर के पास, उदयपुर।
10. श्रीमती अनुसुया देवी पत्नी शंकरलाल शर्मा निवासी मावली हाल 73 डोरे नगर, उदयपुर।
11. श्रीमती सुरेखा पत्नी दिनेश शर्मा निवासी मावली हाल राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय थूर तह. बडगांव जिला उदयपुर।
12. श्री कमलेश पगारिया पिता लक्ष्मीलाल पगारिया निवासी मावली तह. मावली।
13. श्री रामलाल पिता हीरालाल जाट निवासी थामला तह. मावली।
14. श्रीमती प्रेमीबाई पत्नी रामलाल जाट निवासी थामला तह. मावली।
15. श्री आकाश पिता रामलाल जाट निवासी थामला तह. मावली।
16. श्री राजेश पिता श्यामलाल चित्तौडा निवासी 27 शॉपिग सेन्टर, हि.म. सेक्टर 11 उदयपुर।
17. श्री हिरालाल पिता झमकलाल मेहता निवासी 17 उमराव की गली, सिंधी सरकार की हवेली, उदयपुर।
18. श्री सुनिल पिता हरिलाल तलरेजा निवासी 1/66 सिंधी साईं सदन हाल बोर्ड प्रतापनगर उदयपुर।
19. श्री अरविन्द त्यागी पिता देवराजसिंह ब्राहम्ण निवासी बी–3/202 वैशाली अपार्टमेन्ट, से.न. 4 उदयपुर।
20. श्री अशोक कुमार पिता भेरूलाल सेन निवासी मावली तह. मावली।
21. श्री दिनेश बोरिवाल पिता भेरूलाल बोरिवाल निवासी मावली तह. मावली।
22. मुक्ता जोशी पत्नी कृष्णकान्त पालीवाल निवासी 4 ए 19 हिरण मगरी से. 7 उदयपुर।
23. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार मावली जिला उदयपुर।
24. पटवारी, पटवार हल्का मावली तह. मावली जिला उदयपुर।
25. ग्राम पंचायत मावली तह. मावली जिला उदयपुर।
26. उप पंजीयन मावली तह. मावली जिला उदयपुर।

.....रेस्पोडेन्ट्स

उपस्थित : 1. श्री ललित वसीटा, अधिवक्ता अपीलाण्ट।
2. श्री सुरेश चन्द्र शर्मा, अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट सं. 1 से 6 ।

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान लैण्ड रेवेन्यू एक्ट
अपील विरुद्व निर्णय ग्रा.प. मावली, बाबत ना. सं. 4048 दि. 18.09.2017

—: : निर्णय : :—

दिनांक : 16.04.2018

1. अपीलाण्ट द्वारा अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान लैण्ड रेवेन्यू एक्ट के तहत मय स्थगन प्रार्थना पत्र अपील निर्णय ग्राम पंचायत मावली बाबत् नामान्तरण संख्या 4048 दिनांक 18.09.2017 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई। अपील के संक्षिप्त विवरण निम्न प्रकार है ग्राम मावली पटवार हल्का मावली तह. मावली में निम्न कृषि भूमि स्थित हैं। ''परिशिष्ठ अ'' में वर्णित आराजी नम्बर 604, 2194, 2195, 2196, 3055, 3056, 3295, 4557/3057 किता 8 रकबा 17 बीघा 18 बिस्वा। कृषि भूमि रेस्पोडेन्ट सं. 1 से 6 के नाम 1/2 वां हक व हिस्सा, अपीलान्ट एवं रेस्पोडेन्ट सं. 7 से 10 के नाम 5/18 वां हक व हिस्सा, रेस्पोडेन्ट सं. 11 के नाम 1/18 वां हक व हिस्सा, रेस्पोडेन्ट सं. 12 के नाम 1/12 वां हक व हिस्सा, रेस्पोडेन्ट सं. 13 से 15 के नाम 1/12 वां हक व हिस्सा राजस्व जमाबन्दी सम्वत् 2072 से 2075 में दर्ज हैं। ''परिशिष्ठ ब'' में वर्णित आराजी नम्बर 3266 रकबा 4 बीघा 10 बिस्वा। कृषि भूमि रेस्पोडेन्ट सं. 1 से 6 के नाम 1/2 वां हक व हिस्सा, रेस्पोडेन्ट सं. 12 के नाम 1/12 वां हक व हिस्सा, रेस्पोडेन्ट सं. 13 से 15 के नाम 1/12 वां हक व हिस्सा, रेस्पोडेन्ट सं. 16 के नाम 4145/78408 वां हक व हिस्सा, रेस्पोडेन्ट सं. 17 के नाम 1244/78408 वां हक व हिस्सा, रेस्पोडेन्ट सं. 18 के नाम 1362/78408 वां हक व हिस्सा, रेस्पोडेन्ट सं. 19 के नाम 49/360 वां हक व हिस्सा, रेस्पोडेन्ट सं. 20 के नाम 2/90 वां हक व हिस्सा, रेस्पोडेन्ट सं. 21 के नाम 3/90 वां हक व हिस्सा, रेस्पोडेन्ट सं. 22 के नाम 1/18 वां हक व हिस्सा राजस्व जमाबन्दी सम्वत् 2072 से 2075 में दर्ज हैं।
2. उक्त नामान्तरण अपील में वर्णित कृषि भूमि में नामान्तरण सं. 4048 में रंगलाल पिता मोहनलाल की विरासत का पटवार हल्का मावली द्वारा नामान्तरण दर्ज कर दिनांक 18.09.2017 को ग्राम पंचायत मावली जो नामान्तरण हेतु स्वीकृति प्रदान की है उसमें भारी विधिक भूल की है जबकि रंगलाल पिता मोहनलाल न होकर रंगलाल पिता किशनलाल है तथा रंगलाल ने अपने जीवन काल में समस्त दस्तावेजों में तथा समस्त हक व अधिकार किशनलाल जी के हिस्से से प्राप्त किये है तथा उनकी राजकीय सेवा एवं उनके वारिसान ने उनके मृत्यु आवेदन भी रंगलाल पिता किशनलाल के नाम से जारी करवाया हैं। पटवारी हल्का मावली ने अपने उक्त नामान्तरण की रिपोर्ट में भी स्पष्ट अंकन किया है कि मृत्यु प्रमाण पत्र में रंगलाल पिता किशनलाल दर्ज है इसके पश्चात् उन्होनें रिपोर्ट में लिखा है कि ''रंगलाल पिता मोहनलाल का जाईन्दा पुत्र है वारिसान की जांच की जाकर सही पाया हैं'' पटवारी हल्का को अपने स्तर पर वारिसान की जांच करना अर्थात् वारिस निर्धारित करना पटवारी के अधिकार क्षैत्र का विषय नहीं है जब पटवारी के समक्ष रंगलाल जी के वारिसान ने मृत्यु प्रमाण पत्र में स्पष्टतः रंगलाल पिता

किशनलाल का मृत्यु प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया है तो दस्तावेज से पृथक अपने स्तर पर वारिसान की जांच कर वारिस अर्थात् उत्तराधिकारी निर्धारण करना पटवारी के अधिकार क्षैत्र का विषय नहीं होने से उक्त नामान्तरण में पटवारी हल्का ही जांच विधि विरूद्व है तथा उक्त जांच के आधार पर ग्राम पंचायत मावली द्वारा नामान्तरण सं. 4048 विधि विरूद्व होने से स्वीकृत कर भारी विधिक भूल की है जिस हेतु उक्त नामान्तरण सं. 4048 निरस्त फरमाया जावें।

3. रंगलाल के वारिस कायमी में अपीलान्ट के पिता शंकरलाल जी द्वारा पूर्व में नामान्तरण सं. 2113 में भी आपत्ति दर्ज करवाई थी तथा उक्त नामान्तरण की अपील न्यायालय अति. संभागीय आयुक्त उदयपुर में प्रस्तुत हुई जिसके प्रकरण सं. 46/15 अपील हो माननीय अति. संभागीय आयुक्त उदयपुर द्वारा दिनांक 05.06.2015 को सहायक कलक्टर मावली के प्रकरण सं. 6/14 निर्णय दिनांक 20.04.15 में उक्त भूमि का हस्तान्तरण एलिनेशन न करने हेतु अस्थायी निषेधाज्ञा जारी फरमाई गई जो वर्तमान में भी जारी हो आगामी पेशी दिनांक 06.11.2017 को नियत हैं। उक्त नामान्तरण में वर्णित कृषि भूमि में न्यायालय अति. संभागीय आयुक्त उदयपुर द्वारा हस्तान्तरण (एलीनेशन) अस्थायी निषेधाज्ञा जारी होने के बावजूद नामान्तरण दर्ज किया गया जिसमें भी पटवारी हल्का मावली ने भारी विधिक भूल की हैं।
4. रेस्पोडेन्ट सं. 1 से 6 को इस तथ्य की अच्छी तरह से जानकारी थी की उनके पूर्वज रंगलाल बाल्यकाल में ही किशनलालजी के गोद चले जाने से उनके ही वारिस है तथा उनके समस्त रेकार्ड में रंगलाल पिता किशनलाल ही दर्ज है जिसके आधार पर रेस्पोडेन्ट सं. 24 पटवारी हल्का मावली को नामान्तरण दर्ज करने का अधिकार नहीं हैं।
5. रेस्पोडेन्ट सं. 12 से 22 सह खातेदार होने से आवश्यक पक्षकार बनाये गये है जिनसे अपीलान्ट को कोई रिलिफ नहीं चाहिए।
6. उक्त गलत रूप से स्वीकार किये गये नामान्तरकरण का ज्ञान मुझ अपीलान्ट को दिनांक 24.10.2017 को नामान्तरकरण की नकल प्राप्त करने पर हुआ इसके पश्चात् मैनें अपने वकील साहब से कानूनी विचार विमर्श कर आप माननीय न्यायालय में यह अपील प्रस्तुत कर रहा हूं। अतः प्रार्थना है कि रेस्पोडेन्ट सं. 25 ग्राम पंचायत मावली द्वारा नमान्तरण सं. 4048 के साथ संलग्न दस्तावेज को नजरन्दाज कर नामान्तरण स्वीकृत किया हैं जिससे नामान्तरण सं. 4048 दिनांक 18.09.2017 को निरस्त फरमाया जावें। ताईद में शपथ पत्र प्रस्तुत हैं।
7. पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट को जरिये नोटिस तलब किया गया। रेस्पोडेन्ट सं. 1 से 6 की ओर से अधिवक्ता उपस्थित होकर जवाब पेश कर निवेदन किया कि अपील झूठे मनगढन्त कथनों पर आधारित होकर अवश्य ही खारिज होगी, जिसकी सुनवाई होकर समय लगने की भी कोई संभावना नहीं हैं। पटवार हल्का द्वारा स्व. रंगलाल जी के विरासत का नामान्तरकरण सं. 4048 निर्णय दिनांक 18.09.2017 स्वीकृत किया जिसमें रेस्पोडेन्ट सं. 1 से 6 विधिक वारिस हैं इनके अलावा ओर कोई वारिस नहीं है, इसलिए पटवार हल्का मावली द्वारा पूर्ण जांच कर प्रकरण आदेश हेतु ग्राम पंचायत मावली के समक्ष पेश किया जिस पर सुनवाई कर उक्त नामान्तरण फैसल करने में कोई त्रुटि नहीं की हैं।
8. पूर्व में नामान्तरण सं. 2113 के विरूद्व आप श्रीमान् द्वारा प्रकरण सं. 6/14 अपील नामान्तरण निर्णय दिनांक 20.4.15 को स्वर्गीय मोहनलाल जी के वारिसान

की कायमी के तहत् निर्णय पारित कर वर्तमान राजस्व रेकार्ड में दर्ज खातेदारन को वैध पाया गया एवं इस निर्णय के विरूद्व माननीय संभागीय आयुक्त महोदय उदयपुर के यहां अपील सं. 97/15 विचाराधीन है। इस अपील में माननीय संभागीय आयुक्त महोदय द्वारा दिनांक 05.06.15 को स्थगन आदेश जारी किया था, जिसको अपीलान्ट द्वारा ही दिनांक 16.11.2015 को निरस्त करा दिया गया तथा दिनांक 16.11.2015 के बाद आज तक कोई स्थगन आदेश नहीं हैं एवं अधीनस्थ न्यायालय द्वारा नामान्तरण सं. 4048 निर्णय दिनांक 18.09.2017 सही पारित किया यदि कोई न्यायालय की अवमानना हुई हो तो तब भी न्यायालय की अवमानना का प्रकरण स्थगन जारी करने वाले न्यायालय के समक्ष पेश करना चाहिए था।

9. विशेष कथन प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपीलान्ट प्रदीप कुमार एवं अन्य द्वारा पूर्व में भी आप श्रीमान् न्यायालय में नामान्तरण सं. 2113 के विरूद्व स्व. मोहनलाल जी के विरासत को चुनौती दी जिसको आप न्यायालय द्वारा 20.04.15 को खारिज कर दिया तथा स्व. मोहनलाल जी के वारिसान में स्व. रंगलाल का 1/2 हक राजस्व रेकार्ड में दर्ज होना सही पाया एवं इसको अपीलान्ट ने माननीय संभागीय आयुक्त महोदय उदयपुर के न्यायालय में चुनौती दी जिसकी अपील संख्या 97/15 विचाराधीन होकर इस प्रकरण में 05.06.15 को स्थगन जारी किया गया जिसको अपीलान्ट द्वारा ही दिनांक 16.11.2015 को निरस्त करा दिया तथा उसके बाद आज तक कोई स्थगन आदेश जारी नहीं हैं। फिर भी अपीलान्ट ने उक्त सभी तथ्यों को आप श्रीमान् न्यायालय से छुपाकर गलत तरीके से स्थगन इस प्रकरण में जारी कराया जिसको अविलम्ब निरस्त फरमाया जावें ताईद में निर्णय की फोटोप्रति एवं आदेशिका संभागीय आयुक्त की फोटो प्रति प्रस्तुत हैं।

10. अपीलान्ट ने रेस्पोडेन्ट सं. 1 से 6 को उनके स्व. पिता रंगलाल जी की विरासत के नामान्तरण में विधि विरूद्व तरीके से अडचने डालने एवं जलील एवं परेशान करने की नियत से उक्त अपील एवं स्थगन प्रार्थना पत्र पेश किया जिससे जवाब कर्ता विशेष हर्जा 20,000/– रूपयें अपीलान्ट से प्राप्त करने के अधिकारी हैं।

11. अपीलान्ट स्व. रंगलाल जी का न तो विधिक वारिस है न ही उसे उक्त अपील एवं स्थगन आदेश प्रस्तुत करने का विधि अन्तर्गत कोई अधिकार नहीं हैं, जिससे भी उक्त अपील एवं स्थगन आदेश निरस्त योग्य हैं। अतः श्रीमान् से प्रार्थना है कि जवाब प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर स्थगन प्रार्थना पत्र मय अपील निरस्त फरमाया जाकर जवाबकर्ता को विशेष हर्जा 20,000/– रूपयें अपीलान्ट से दिलाये जावें। पुष्टि में शपथ पत्र प्रस्तुत हैं।

12. प्रकरण में रेस्पोडेन्ट सं. 8 से 22 सहखातेदार होने से पक्षकार बनाया जाना बताया। प्रकरण में अधिवक्ता उभय पक्षकारान की बहस सुनी गई।

13. विद्वान अधिवक्ता अपीलाण्ट द्वारा अपनी बहस में अपील में अंकित तथ्यो को दोहराया एवं नामान्तकरण विधि विरूद्ध होने से अस्वीकार कर खारिज किया जाने का निवेदन किया। विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट ने अपनी बहस में जवाब में अंकित तथ्यो को दोहराया एवं नामान्तरकरण सही खुला होने का कथन कर अपील खारिज किया जाने का निवेदन किया।

14. हमने विद्वान अधिवक्ता उभय पक्षकारान की बहस पर मनन किया। पत्रावली का अवलोकन किया। नामान्तरकरण सं. 4048 का अवलोकन किया। नामान्तरण सं. 4048 ग्राम पंचायत मावली द्वारा दिनांक 18.9.17 को स्वीकृत किया गया। उक्त नामान्तरकरण में खातेदार श्री रंगलाल की मृत्यु हो जाने से उसके विरासत से रंगलाल के वारिसान के पक्ष में नामान्तरकरण खोला गया हैं। वादग्रस्त भूमि के मौरूस जीतमल जी थे जिनके दो पुत्र किशनलाल व मोहनलाल हुए। किशनलाल के कोई पुत्र नहीं हुआ एवं मोहनलाल के तीन पुत्र रंगलाल, शंकरलाल, पन्नालाल हुए। किशनलाल के कोई पुत्र नहीं होने से रंगलाल जी उनके पास रहना बताया जिसके तहत् सभी दस्तावेज में रंगलाल के पिता का नाम किशनलाल अंकित हो गया जबकि रंगलाल को किशनलाल द्वारा गोद नहीं रखा गया बल्कि वास्तविकता में किशनलाल द्वारा मोहनलाल के तीसरे पुत्र पन्नालाल को गोद लेना बताया जिसके तहत किशनलाल की सम्पति में पन्नालाल का नाम दर्ज हो चुका हैं एवं मोहनलाल के नाम दर्ज भूमि में रंगलाल व शंकरलाल का विरासत से नाम दर्ज हुआ है। इस बाबत् पूर्व में भी इस न्यायलय से अपील खारिज हो चुकी है जो संभागीय आयुक्त महोदय के यहां विचाराधीन होना बताया हैं चूंकि रंगलाल की मृत्यु होने से रंगलाल के वारिसान पुत्रीयों एवं पत्नी के नाम विरासत खुला है जो सही खुला होना पाया जाता हैं अपीलाण्ट रंगलाल का वारिस नहीं होकर भतीजा है। रंगलाल का विधिक वारिस नहीं होने एवं प्रकरण में हितबद्ध पक्षकार नहीं होने से अपीलाण्ट को रंगलाल की विरासत के नामान्तरकरण के विरूद्ध अपील लाने का कोई अधिकार नहीं है। अतः ऐसी स्थिति में अपीलाण्ट की अपील स्वीकार नहीं की जा सकती है। अतः अपील अपीलाण्ट इसी स्तर पर खारिज की जाती है।

—: आदेश :—

परिणामस्वरूप अपील अपीलाण्ट अन्तर्गत धारा 75 भू. राजस्व अधिनियम 1956 का स्वीकार योग्य नहीं होने से अस्वीकार कर खारिज की जाती हैं। पूर्व में जारी अस्थाई निषेधाज्ञा हटाई जाती हैं।

निर्णय आज दिनांक 16.04.2018 को खुले ईजलास लिखवाया जाकर सुनाया गया।

(जितेन्द्र ओझा)
उपखण्ड अधिकारी
मावली